रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1875] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2015/भाद्र 13, 1937
No. 1875] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2015/BHADRA 13, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2015

सं. 89/2015-सीमा-शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 2410(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) तथा धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा मैसर्स शक्ति कमोडिटीज प्रा.लि. कमरा सं. 21,79, श्यामलाल रोड, दरियागंज, नई दिल्ली को फा. सं. VIII/26/19/2013- डीआरआई -एचआरयू, दिनांक 22 मई, 2014 के तहत जारी अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, क्षेत्रीय इकाई, हैदराबाद द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामले में न्याय निर्णयन के लिए

(i) अपर आयुक्त सीमा शुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली;

(ii) अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), समुद्रपत्तन, चैन्नई;

(iii) अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), समुद्रपत्तन, न्हावा शेवा, जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, तालुका उड़ान, जिला रायगढ़, मुंबई;

(iv) अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, अंत:देशीय कंटेनर डिपो, सनथनगर, उत्पाद शुल्क भवन, बशीरबाग, हैदराबाद;

(v) अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात) अंत:देशीय कंटेनर डिपो, पटपड़गंज, नई दिल्ली.

(vi) अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात) समुद्रपत्तन, कस्टम हाऊस, स्ट्रेंड रोड, कोलकाता; तथा

(vii) अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), एयर कार्गो निकट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एतद्द्वारा संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क, प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क कार्यालय, (आयात) अंत:देशीय कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/123/2014-सीमा-शुल्क IV]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2015

No. 89/2015-Customs (N.T.)

S.O. 2410(E).–In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs, hereby appoints the Additional/Joint Commissioner of Customs, Office of the Principal Commissioner of Customs (Import), Inland Container Depot, Tughalakabad, New Delhi to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on:—

(i) the Additional Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughalakabad, New Delhi;

(ii) the Additional Commissioner of Customs (Imports), Sea Port, Chennai;

(iii) the Additional Commissioner of Customs (Imports), Sea Port, Nhava Sheva, Jawaharlal Nehru Customs House, Taluka Uran, District, Raigad, Mumbai;

(iv) the Additional Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Sanathnagar, Utpad Shulk Bhavan, Basheerbagh, Hyderabad;

(v) the Additional Commissioner of Customs (Imports), Inland Container Depot, Patparganj, New Delhi;

(vi) the Additional Commissioner of Customs (Imports), Sea Port, Customs House, Strand Road, Kolkata; and

(vii) the Additional Commissioner of Customs (Import), Air Cargo Near Indira Gandhi International Airport, New Delhi,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Shakti Commodities Pvt. Ltd., Room No.: 21, 79, Shyamlal Road, Daryaganj, New Delhi issued, *vide* F. No.VIII/26/19/2013-DRI-HRU, dated the 22nd May, 2014 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Regional Unit, Hyderabad.

[F. No. 437/123/2014-Cus. IV]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.